न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक 5/5/25

प्रार्थना पत्र संख्या :- 58/2025

अनवान

धाकड़ घीसा लाल पुत्र हीरा लाल धाकड़
निवासी पीपल्दा त० बेगूं — प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

बंशी लाल पिता रामा जी धाकड़ वगैरा
निवासी पीपल्दा त० बेगूं — विपक्षी/विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढ़ी करने ::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री M.D. शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा रामनिवास पटवार हल्का धामचा की आराजी संख्या 71/50 कुल कीता 01 कुल रकबा 0.3240 है कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा रामनिवास पटवार हल्का धामचा की आराजी संख्या 71/50 कुल कीता 01 कुल रकबा 0.3240 भूमि की पत्थरगढ़ी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण से पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि 1500/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढ़ी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता-

[signature]
उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक :- 6/5/25

क्रमांक / मजिस्ट्रेट / 2025 / 265

प्रार्थना पत्र संख्या 58/25 व अनवान [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी, बेगूं
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)